

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान: बाल श्रम के सन्दर्भ में

*अनीता गरवाल

बाल श्रम एक बीमारी है जो हमारे लाखों बच्चों के बचपन को धीरे-धीरे खा रही है। बच्चों के हितों और संरक्षण का मामला भारत के संविधान में निहित है। बाल श्रम बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक भारतीय दंड विधान भी बनाये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नहीं कराया जायेगा, विशेषकर ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, किन्तु आज इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बाल श्रम (निवेश एवं विनियम) अधिनियम 1986 खतरनाक व्यवसायों में कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है। गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक सामंजस्य का अभाव, पंरपरागत व्यवसाय, बढ़ता औद्योगिकीकरण तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव बाल मजदूरी के प्रमुख कारण हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए भी सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के समन्वित साथ की जरूरत है। बाल शिक्षा के अभाव में देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करना निरर्थक है।

उद्देश्य:

1. बाल श्रम से सम्बन्धित संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करना।
2. बाल श्रम को रोकने के लिए सम्भावित सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध-प्रविधि:

प्रस्तुत शोध पत्र विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित है तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों का संकलन द्वितीय स्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही शोध पत्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

बच्चे देश, राष्ट्र व समाज के निर्माता होते हैं अतः देश व समाज का दायित्व होता है कि वह अपनी अमूल्य निधि को सहेज कर रखे। इसके लिए आवश्यक हैं कि बच्चों की शिक्षा, लालन-पालन, शारीरिक, मानसिक विकास, समुचित सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये। बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। गरीब बच्चों का जीवन भी अत्यधिक शोषित है। छोटे-छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। जो समाज अपने बच्चों के लिए संवेदनशील नहीं है वह अपने राष्ट्र के भविष्य के प्रति कभी गम्भीर नहीं हो सकता।

बाल श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमें की कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। जब एक बच्चा किसी ऐसे काम में सलग्न होता है जो उसको अवकाश खेलकूद एवं शिक्षा से बंचित करता है तो उसे "बाल श्रम" कहा जाता है। 14 साल तक के बच्चों का अपने बचपन से ही नियमित काम करना बाल मजदूरी कहलाता है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिये अपराध है जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक है। बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बच्चों के व्यक्तित्व के पूर्ण और सुसंगत विकास के लिए उसे परिवार के बीच प्रसन्नता, प्रेम और आपसी समझ-बूझ के वातावरण में बढ़ना चाहिए।

भारत में बाल श्रम का सेवायोजन प्रायः काजू, जटा-जूट, नारियाल, कालीन, दियासलाई, बीड़ी-तम्बाकू, कांच, बागान, खानों, सूती वस्त्र, ऊन, विस्फोटक, अन्नक, चमड़ा, दुकानों, होटल, रेस्टोरेट, ईट-भट्टा, रसायन मिलों तथा अन्यान्य सफाई उद्योगों में ज्यादा पाया जाता है इसमें अधिकतर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिकता में रखा जाता है।

*शोध छात्र, राजनीति विभाग, एम0 बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

बच्चों को परिवार चलाने की जिम्मेदारी नहीं पढ़ने लिखने और व्यक्तित्व का विकास करने की संभावना चाहिए।

संवैधानिक वचनबद्धता के अनुसरण में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बाल-नीति बच्चों के कल्याण के लिए संकल्प संख्या 17/74 सी.डी.डी. दिनांक 22 अगस्त, 1974 को बनायी। इस राष्ट्रीय बाल नीति की प्रस्तावना में कहा गया कि "बच्चे राष्ट्र की सर्वोच्च महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। उनकी देखभाल और चिन्ता करना हमारी जिम्मेदारी है। मानव संसाधन विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पुष्ट नागरिक बनें और नैतिक रूप से स्वस्थ बने।" बाल श्रम की समीक्षा न्यायालय बराबर करते आ रहे हैं। एम.सी. मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु ए. आई. आर. 1997 एस. हंसारिया तथा न्यायमूर्ति एस. बी. मजूमदार ने निर्णय में यह विचार अभिव्यक्त किये थे कि "हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना का भारत साहसी एवं पराक्रमी बालकों में परिलक्षित होता है। उनकी कल्पना एक ऐसे बालक की रही है जिसे समुचित शिक्षा मिले, उसकी शोषण से रक्षा हो और उसका सर्वांगीण विकास अवरुद्ध न रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 69 वर्षों बाद भी हमारे देश में बालक श्रम एक गम्भीर समस्या बनी हुई है।"

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) आंकलन है कि दुनिया भर में 16 करोड़ 80 लाख बच्चे बाल श्रम में शामिल हैं। इनमें 85 करोड़ बच्चे खतरनाक काम में लगे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक भारत में है। अगर हम जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो— 1991 की जनगणना के हिसाब से बाल श्रमिक 11.3 फीसदी थे, 2001 में इनकी संख्या 14.6 फीसदी हो गयी। 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा बढ़कर 24.8 फीसदी हो गया है। 'हूमन राइट्स वॉच' के जावड़ेकर ने कहा, "उपभोक्ताओं के पास सामान्यतया किसी भी तरह से यह जानने का रास्ता नहीं रहता कि वे जो खाना खा रहे हैं, कपड़े और गहने वे जो पहन रहे हैं या अन्य उत्पाद जो वे खरीदते हैं वे बाल श्रम से बने हैं।"

संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नहीं कराया जायेगा, विशेषकर ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो किन्तु आज इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। पढ़ाई लिखाई या खेल कूद के बजाए ये बच्चे ईंट के भट्टों में 10 घंटे काम कर रहे हैं और बदले में इन्हें 60 या 70 रुपये मिलते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 15(3) बालकों के लिए अलग से कानून बनाने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 21 प्रत्येक राज्य बच्चों के जीवन और स्वतंत्रता का रक्षा सुनिश्चित करेगा। संविधान के 86 वें संशोधन 2002 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 23 बालकों के क्रय-विक्रय एवं उनके द्वारा गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य करने पर रोकलगाई गई है साथ ही बालकों को भय दिखाकर या बिना पारिश्रमिक के काम करना भी प्रतिबन्धित है।

अनुच्छेद 24 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या अन्य किसी परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जायेगा।

अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करने हेतु सरकार को निर्देश दिये गये हैं।

अनुच्छेद 39(ई) बच्चों के बचपन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं कि उन्हें ऐसे कार्यों में न लगाया जाए जो उनकी उम्र व स्वास्थ्य के लिए घातक हों।

अनुच्छेद 39(च) बचपन तथा जवानी का शोषण व नैतिक और आर्थिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षित करता है।

अनुच्छेद 45 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है। कानूनी प्रावधान

भारतीय दण्ड संहिता धारा-82 7 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को किसी भी अपराध में दण्डित करना वर्जित।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा-125 सन्तान और साथ में बच्चे, चाहे वे वैध अथवा अवैध सन्तान हो भरण-पोषण के हकदार हैं।

कारखाना अधिनियम 1948: अधिनियम किसी भी कारखाने में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम की धारा 67 में कहा गया है कि किसी बालक को तब तक नियोजन में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि उसने 14 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

खान अधिनियम 1952: खान अधिनियम 1952 में वर्ष 1983 में हुये महत्वपूर्ण संशोधन में इस बात का प्रावधान किया गया है कि धारा 40 के तहत खान में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक का नियोजन प्रतिबन्धित है इतना ही नहीं किसी व्यक्ति को यदि खान के कार्य में प्रशिक्षण लेना है तो ऐसे प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता की आयु भी 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए इसके साथ-साथ उसे एक उचित पर्यवेक्षण लेना आवश्यक है।

शिशु अधिनियम 1961(यथा संशोधित 1978): बच्चों को अस्वस्थकर परिस्थितियों में श्रम पर लगाना प्रतिबन्धित।


बाल श्रम (निवेश एवं विनियमय) अधिनियम 1986: कानून द्वारा खतरनाक व्यवसायों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है। इस अधिनियम के दौरान जो प्रारम्भ से चली आ रही बच्चों के श्रमिक रूप में होने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे- आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावात्मक शोषण आदि को निश्चित सीमा तक रोकने का व्यापक तौर पर प्रयास 2006 में और 2008 में विस्तार किया गया।

बच्चों के किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000: इस कानून में किसी भी खतरनाक नियोजन में या बंधन में एक बच्चे की खरीद या रोजगार के लिये बच्चे को ले जाना अपराध है जिसके लिए जेल की सजा के साथ जुर्माना लिया जाता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के स्थान पर बनाया गया है। इस अधिनियम को 7 मई, 2015 को लोक सभा द्वारा और 22 दिसंबर, 2015 को राज्य सभा द्वारा पास किया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर, 2015 को इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान कर दी। इस अधिनियम में 'किशोर' शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए 'किशोर' शब्द की नामावली में परिवर्तन किया गया है। अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों की नई परिभाषाओं को शामिल किया गया है। बच्चों के छोटे, गम्भीर और जघन्य अपराध, किशोर न्यायबोर्ड व बालकल्याण समिति के अधिकारों, कार्यो और जिम्मेदारियों में स्पष्टीकरण, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच में स्पष्ट अवधि, 16 साल से ऊपर के बच्चों द्वारा किये गये जघन्य अपराध की स्थिति में विशेष में प्रावधान, अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने संबंधी नियमों पर अलग नया अध्याय, बच्चों के विरुद्ध किये गए नये अपराधों को शामिल किया गया, बालकल्याण व देखभाल संस्थाओं के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR): इसकी स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई, इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बच्चों को दिए अधिकार जैसे समानता, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी के लिए हुई है।

बाल श्रम सम्बन्धी प्रमुख अधिनियम



निष्कर्ष :

बाल श्रम एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक समस्या है जो बच्चों के शारीरिक-मानसिक क्षमता को प्रभावित करती है। बच्चों के हितों और संरक्षण का मामला भारत के संविधान में निहित है इसके बावजूद बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। भारत का प्रत्येक चौथा बच्चा बालश्रम के चलते स्कूल नहीं जा पाता है। सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई देती है। बच्चों के माता पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उन्हें स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जायेगी। बच्चे आज भी राजनैतिक, सामाजिक प्राथमिकता में नहीं हैं। सस्ते श्रमिक के तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 80 लाख बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि शहरों में 20 लाख के करीब हैं, 62.8: बाल मजदूर खतरनाक कार्यों में लगे हुए हैं। 59: बच्चे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

बच्चे सस्ता श्रम होते हैं तभी इन्हें ठेकेदार व दुकानदार अपने व्यवसाय में रख लेते हैं। सरकार द्वारा बनाये गये बाल श्रमिक कानूनों के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर लगाना वर्जित है, और इसकी अवहेलना करने पर कार्यवाही की जाती है। बाल श्रमिक कानून का किसी भी व्यवसाय मालिकों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। बालश्रम के कारणों में अशिक्षा, निर्धनता, संयुक्त परिवार, वैश्वीकरण, निजीकरण व उपभोक्तावादी संस्कृति आदि हैं। ठोस स्तर की राज्य व राष्ट्रीय नियमों/कानूनों के अभाव के चलते बालश्रम की समस्या बनी हुई है। बाल श्रमिकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार द्वारा बनाये गये कानून व प्रयास भी ऊँट के मुँह में जीरा प्रतीत हो रहे हैं।

सुझाव :

बाल श्रम समाज पर कलंक है। बाल श्रम के दलदल से बच्चों के बचपन को निकालना बड़ी चुनौती है। बाल श्रम को मिटाने के लिए सरकार के साथ-साथ वैयक्तिक पहल भी जरूरी है। बाल श्रम के संरक्षण के लिए जागरूकता जरूरी है। मेरा मानना है कि जनता के सहयोग के बिना कोई भी कानून बाल श्रम के कलंक से इस देश को मुक्ति नहीं दिला सकता। जब तक बच्चों का बचपन नहीं संवरेगा तब तक देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना निरर्थक है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सोच में बदलाव। जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस समस्या का स्थाई समाधान निकल पाना संभव नहीं है। बाल श्रम की समाप्ति के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के समन्वित साथ की सख्त जरूरत है। भारतीय दंड विधान द्वारा जो कार्यवाही है उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमें किसी भी वर्ग के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं को प्रारम्भ किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। गरीबी को दूर करने वाले

सभी व्यवहारिक सभी उपायों को उपयोग में लाया जाना चाहिए। बिना बाल शिक्षा के देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करना निरर्थक है।

सन्दर्भ

- बाल श्रम (प्रतिशोध और विनियम) अधिनियम 1986.
- किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000.
- मानवाधिकार नई दिशाएं (2008), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वार्षिक अंक-5, 2008.
- सारस्वत माधवानन्द, "मानवाधिकार एक अवलोकन", संजना प्रकाशन राजस्थान, 2011.
- आहूजा राम, "सामाजिक समस्याएं", रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2012.
- आर्या रश्मि व बिष्ट एस0, जनपद नैनीताल में बाल श्रमिक समस्या एवं निदान, क्वैस्ट शोध पत्रिका, 2014, 8, (1).
- सिंह के0 पंकज, "समर्थ भारत", डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2015.
- लक्ष्मीकान्त एम0, "भारत की राजव्यवस्था", Mc. Graw Hill Education, (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली चतुर्थ संस्करण.
- सत्यार्थी कैलाश, "आजाद बचपन की ओर", प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2016.
- बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट जनवरी 2016.
- www.jagran.com दिनांक 11 जून 2017.